कर्मचारी चयन मण्डल , भोपाल

" चयन भवन" मेन रोड़ न. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

फोन न.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

website: www.esb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complaint.esb@mp.gov.in

समूह-1 उप समूह-1 के अन्तर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी (कार्यपालिक) पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023, समूह-2 उप समूह-1 के अन्तर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यपालिक) एवं अन्य समकक्ष पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023

<table>
<tr><th colspan="3">ऑनलाईन आवेदन-पत्र</th></tr>
<tr><td colspan="2">आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 17/04/2023</td><td>आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 01/05/2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 17/04/2023</td><td>आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 06/05/2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">परीक्षा दिनांक व दिन</td><td>15 जुलाई 2023 से प्रारम्भ</td></tr>
<tr><th colspan="3">परीक्षा शुल्क</th></tr>
<tr><td rowspan="2">सीधी भर्ती / संविदा पदो हेतु</td><td>अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये</td><td>रू. 500/- प्रति प्रश्न पत्र</td></tr>
<tr><td>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)</td><td>रू. 250/- प्रति प्रश्न पत्र</td></tr>
<tr><td colspan="2">सीधी भर्ती – बैकलॉग</td><td>कोई शुल्क नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="3">ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा ।</td></tr>
</table>

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

<table>
<tr><th>परीक्षा का नाम</th><th>परीक्षा दिनांक एवं दिन</th><th>परीक्षा की पाली</th><th>अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय</th><th>महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय</th><th>उत्तर अंकित का समय</th></tr>
<tr><td rowspan="2">समूह-1 उपसमूह-1 सयुंक्त भर्ती परीक्षा 2023</td><td rowspan="4">15 जुलाई 2023 से प्रारम्भ</td><td>प्रथम</td><td>प्रात: 7:00 से 8:00 बजे तक</td><td>08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)</td><td>प्रात: 09:00 से 12:00 बजे तक (3:00 घंटे)</td></tr>
<tr><td>द्वितीय</td><td>दोपहर 12:30 से 01:30 बजे तक</td><td>02:20 से 02:30 बजे तक (10 मिनट)</td><td>दोपहर 02:30 से 05:30 बजे तक (3:00 घंटे)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">समूह-2 उपसमूह-1 सयुंक्त भर्ती परीक्षा 2023</td><td>प्रथम</td><td>प्रात: 7:00 से 8:00 बजे तक</td><td>08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)</td><td>प्रात: 09:00 से 12:00 बजे तक (3:00 घंटे)</td></tr>
<tr><td>द्वितीय</td><td>दोपहर 12:30 से 01:30 बजे तक</td><td>02:20 से 02:30 बजे तक (10 मिनट)</td><td>दोपहर 02:30 से 05:30 बजे तक (3:00 घंटे)</td></tr>
</table>

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित(Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर /आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं |
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है ।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।

7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है

9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।

10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण ई.एस.बी. द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है । अत :कम्प्युटर आधारित online परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता (Eligibility) (पूर्णत प्रावधिक (Provisional) होगी |

11. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

12. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-3 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मण्डल को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा । मण्डल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा ।

13. विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थित में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी ।)

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल
" चयन भवन" मेन रोड़ न. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
website: www.esb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complain. esb @mp.gov.in

समूह-1 उप समूह-1 के अन्तर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, एवं वरिष्ठ उद्‌यान विकास अधिकारी (कार्यपालिक) पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023,
समूह-2 उप समूह-1 के अन्तर्गत ग्रामीण उद्‌यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यपालिक) एवं अन्य समकक्ष पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023
आयोजन के नियम एवं निर्देश

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	**समूह-1 उप समूह-1 के अन्तर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, एवं वरिष्ठ उद्‌यान विकास अधिकारी (कार्यपालिक) पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023** विभागीय नियम एवं आरक्षण तालिका एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम	4-35
2.	2	**समूह-1 उप समूह-1 के अन्तर्गत जिला वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, एवं वरिष्ठ उद्‌यान विकास अधिकारी (कार्यपालिक) एवं अन्य समकक्ष पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023** विभागीय नियम एवं आरक्षण तालिका एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम	36-62
3.	3	म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	63-80
5	**प्रारूप-1**	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	81
6	**प्रारूप-2**	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	82
7	**प्रारूप-3**	मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र	83

समूह-1 उप समूह-1 के अन्तर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी (कार्यपालिक) पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023

अध्याय – 01

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

(1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाऐं - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;

(ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ड.) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाऐं;

(च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित परीक्षा;

(छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;

(ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;

(ञ) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;

(ट) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;

(ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ड.) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(ण) "उपक्रम" से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;

(त) "मण्डल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल ;

3. लागू होना :- (1) ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।

(2) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

(3) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

4. विभागीय भरती नियमों को मान्यता प्रदान किया जाना - वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगें और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगें और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।

5. अर्हकारी अंक - (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होनें समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अकों में 10% की छूट प्रदान की गई है, किंतु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई सूची में से 'मेरिट' के आधार पर किया जावेगा।

(2) इन नियमो के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -

(क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है ;

(ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;

(ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और

(घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6. विस्तार -

(1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।

(2) मण्डल, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओ/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।

7. **सेवा समूह - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 एवं 416 दिनांक 10 अक्टूबर 2016 के अनुसार कंडिका 7 सेवा समूह में संशोधन किया गया है।** विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिसके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् -

तालिका

स. क्र.	सेवा समूह	पद का संवर्ग/पदनाम	श्रेणी
1.	समूह-1 उप समूह-1	**समूह-1 उप समूह-1 के अन्तर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी (कार्यपालिक) पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023**	तृतीय श्रेणी

8. परीक्षा का आयोजन - ऊपर कण्डिका 7 में उल्लिखित सेवा **समूह-1 उप समूह-1** के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/ पद के लिए आयोजित की जाएगी।

संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् **–तालिका**

ऑनलाईन परीक्षा पद्धति के लिये

स.क्र.	समूह	प्रश्न पत्र की कुल संख्या	कुल अंक	प्रश्न पत्र का विवरण	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**समूह-1 उप समूह-1**	01	200	(अ) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान	100
				(ब) संबंधित विषय आधारित प्रश्न	100

09. पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं :-

9.1 अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

समूह-1 उप समूह-1 के लिए

(क) अभ्यर्थियों ने विभागों के संबंधित भर्ती नियमों के अधीन यथा वांछित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि उर्त्तीण की हो या उच्च अर्हता ।

9.2 अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।

9.3 आयु सीमा - उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए मण्डल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछ्ड़े वर्गो, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। **अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे।** आयु सीमा की गणना भरती के **चालू वर्ष की 1 जनवरी** की स्थिति में की जाएगी :

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी :

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए इस परीक्षा हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (संविदाकर्मी एवं कण्डिका 14 के अन्तर्गत आने वाले को छोडकर) से अधिक नहीं होगी।

9.4(1) मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

(i) **अभ्यर्थी** की आयु की गणना 01 **जनवरी** 2023 से निर्धारित की जावेगी ।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एव **पत्र क्र./सी.**3-11/2012/3 **भोपाल दिनांक** 13 **जनवरी** 2016, में संशोधित आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी 3-8/2016/1/3 **भोपाल दिनांक** 04 **जूलाई** 2019 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

क्र.	भर्ती का तरीका	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदो के लिए	**18 से 40**
	अनु.जा., अनु. जनजा. अन्य पिछ्ड़ा वर्ग, शासकीय / निगम/मण्डल/स्वशसी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/ महिलाओ (अनाराक्षित/आरक्षित) आदि के लिए	**18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)**

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

9.5 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पूराना नाम आदिम जाति, हरिजन) एवं पिछ्ड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(iii) किसी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष (संविदाकर्मी एवं कण्डिका 14 के अन्तर्गत आने वाले को छोडकर) से अधिक नहीं होगी।

9.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

(i) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(ii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्परष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिषो के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप : (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

(ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

" आयु-सीमा के संबंध में विशेषा उपबंध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वहर इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद

या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिहिंत अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है ।

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कंडिका 10 में उपनियम-03 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया गया है, जो निम्नानुसार है -

(क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न-भिन्न रहती है, विषायवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृटि से, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल संलग्न परिशिष्ट (कंडिका-07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ-साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/अनुभव को विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करता है तो वह कार्य भी मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल कर सकेगा।

10 . अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना -

(1) अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र ऑनलाईन पद्धति भरेंगे । किसी भी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

(2) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिंहित कर सकेगा।

11. मण्डल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना

(1) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/**ई.डब्लू.एस.**/महिलाओं/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।

(3) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।

(4) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगें।

(5) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से नि:शक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

(6) समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

12 . नियुक्ति के लिए मण्डल की अनुशंसाऐं -

(1) **मण्डल** उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 11 के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।

(2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताऐं पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा । नियमानुसार मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजो का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है ।

(3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वत: ही रदद् हो जाएगी।

13. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि -

(1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रय सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के (तब तक विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या) 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी । ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतिक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी ।

(2) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मण्डल की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदाय किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये है । जिसके अन्तर्गत मण्डल के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चत किया गया है ।

14 . शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिऐ विभिन्न वर्गो को प्राथमिकता –

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के

निर्देश में विभिन्न वर्गो को शासकीय सेवा मे नियुक्ति के लिए प्राथमिता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक सितंम्बर,1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को	ए-1
02	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
03	भूतपूर्व सैनिको (Demobilised Defence forces Personnel –Exservicemen –other ranks) को	ए-3
04	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
05	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
06	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
07	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
08	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास ''सी'' एवं ''डी'' प्रमाण-पत्र	सी-1
09	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -	सी-2

2. कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गोक की सूची में राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।

3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधरण राजपत्र क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 अंतर्गत म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।

4. कंडिका 3 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गो को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि –

4.1 कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गो के पारस्परिक प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाता है।

4.2 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गो के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।

4.3 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गो के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तंक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

15. प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया -

(1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्यवाही

सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा। नियमानुसार मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजो का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।

(3) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम पांच वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण-पत्र।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्लू.एस. का प्रमाण-पत्र।

(5) प्राथमिकता (कण्डिका-14 के अनुसार) संबंधित प्रमाण-पत्र

(6) आवेदन पत्र में अंकित जानकारी अनुसार अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र

16. आरक्षण -

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टीकल) आरक्षण लागू होगा -

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	-	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

सम्पुर्ण एवं अधिक जानकारी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की Website- http://gad.mp.gov.in को देखे।

(2) **क्षैतिज आरक्षण -**

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) क्र 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :-

किन्ही सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस (33 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट)भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्याजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधीभर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीकी लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है :-

1.	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,	(VH)	1.5 प्रतिशत

2.	बहरे और कम सुनने वाले,	(EH)	1.5 प्रतिशत
3.	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4.	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा नि:शक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमश: तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

(3) संविदा कर्मियों हेतु नियम

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं म.प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/ कर्मचारियो को नियमित पदो पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिश निर्देश जारी किए जाते है, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियो का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-

3.1 प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किन्तु इस नीति के अतंर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुन :लाभ की पात्रता नहीं होगी ।

3.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-

3.3 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो । 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए । इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा । यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ।

3.4 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वॉछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो ।

3.5 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए । अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदो पर संविदापर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था ।

3.6 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुन: उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।

3.7 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाएं।

3.8 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हे पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

3.9 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।

3.10 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.11 नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन होगा।

3.12 विभागों का इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। यहॉ आवश्यक हो वहॉ भर्तीमें प्रतिबंध से आवश्यक छुट भी प्राप्त की जावेगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियो/कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा।

3.13 सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश सी-5-2/2018/1-3(पार्ट फाईल) भोपाल दिनांक 18/10/2022 के अनुसार उपरोक्त बिन्दु 16(3) के परिपालन में संविदा हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत पदों पर होरिजेन्टल आरक्षण लागू होता है अत: पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।

(4) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमाक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई.डब्लू.एस.) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

(5) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग या नि:शक्त अभ्यर्थियों में नि:शक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी बोर्ड द्वारा नहीं।

(ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

(घ) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तदसमय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परीणाम जारी किया जावेगा ।

17. आवेदन शुल्क -

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर मे आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

18. यात्रा भत्ता -

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी । ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यार्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी । यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना

होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी ।

(2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषत: आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये है । सभी अभ्यर्थी संलग्न **प्रारूप-2** में अपना बैंक खाता विवरण परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण पत्र इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न कर संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे ।

19. परीक्षा केन्द्र -

परीक्षा केन्द्रो का निर्धारण मण्डल के मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया गया जावेगा । प्राथमिक रूप से परीक्षा शहरों की सूची अध्याय-3 के खण्ड-स में दी गई है ।

20. निरर्हता -

(1) **मण्डल** अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। **मण्डल** ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।

(2) (क) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरूष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

21. अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति -

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलत:

प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो

22. आवेदनों का रद्द किया जाना -

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

23. अभ्यर्थी **द्वारा आरक्षण का दावा -**

(1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्ष्म प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेषा घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

24. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार -

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने -

(क) आनलाईन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या

(घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों; या

(ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या

(च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या

(झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुरव्यव्हार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

25. नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार

(क) भारत का नागरिक हो ।

(ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है ।

(ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है ।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंतत: जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ।

26. मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के पत्र क्र. सी 3-5-2015-3-एक भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अनुसार मण्डल के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त वांछनीय अनुभव व वांछनीय योग्यता या उसके आधार पर वरीयता दिये जाने का उल्लेख विभागों द्वारा नहीं किया जाए । इसके अतिरिक्त पदों का विवरण भेजते समय उक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये ।

27. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल, के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 25/07/2017 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति की प्रतिपूर्ति की राशि भुगतान संबधित विभाग द्वारा किया जावेगा ।

28. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे ।

29. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासनविभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितिय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतिय वर्ष 90 प्रतिशत राशि के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जाएगा ।

विभागवार रिक्त पदों का विवरण

स. क्र.	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त है	पोस्ट कोड	भर्ती का प्रकार	पद	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या						पद की स्थिति
					अना.	EWS	अजा.	अजजा	अपिव	कुल	कार्यपालिक/ अकार्यपालिक
1	संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग भोपाल	1	सीधी भर्ती	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	03	03	04	06	09	25	कार्यपालिक अलीपीकीय
2	किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल	2	सीधी भर्ती	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	03	01	02	00	00	06	कार्यपालिक
		3	बैकलांग सीधी भर्ती	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	00	00	01	00	00	01	कार्यपालिक
				योग	06	04	07	06	09	32	

भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण

1. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.

संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग,छठवा तल विन्ध्याचल भवन भोपाल म.प्र. पत्र क्रमांक उद्यान/अ-2/स्था./सी.भर्ती/रिक्त पद /2022-23/7050 भोपाल, दिनाक 17/10/22 एवं उदयान/अ-1-स/स्था./2022-23/10010 भोपाल 2/2/2023 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है .

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड- 01 सीधी भर्ती - वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी - कुल 25 पद (कार्यपालिक- अलीपीकीय)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 VH 00 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	00	00	01	00	03	
2.	ई.डब्लू.एस.	01	01	00	00	01	00	03	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	00	00	01	00	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	02	01	00	01	00	06	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	02	01	01	01	00	09	
	योग	10	07	02	01	05	00	25	

वेतनमान-34800-114800 लेवल-9
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से उद्यानिकी में स्नातकोत्तर ।

2. किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.). .

संचालक, किसान कल्याण, तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक अ-3-अ/ग्रा.कृ.वि.अ./स्था./सीधी भर्ती/12-2033/3629 भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर 2022 एवं अ-3-अ/ग्रा.कृ.वि.अ./स्था./सीधी भर्ती/12-2022/313 भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2023 के अतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:–

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड-02 सीधी भर्ती - वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी - कुल 06 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	00	00	01	00	03	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	01	00	00	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	00	00	00	00	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	00	00	
	योग	03	02	00	00	01	00	06	

वेतनमान - सातवां वेतनमान 36200-114800 के अनुसार
शैक्षणिक योग्यता - कृषि या संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक ।

पोस्ट कोड-03 बैकलॉग सीधी भर्ती - वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी - कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	00	00	01	

वेतनमान – सातवां वेतनमान 36200-114800 के अनुसार
शैक्षणिक योग्यता - कृषि या संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक ।

समूह-1 उप समूह-1 के अन्तर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी (कार्यपालिक) पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023

पाठ्यक्रम

(परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा)

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधित परिपत्र क्रमांक 74 दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार

प्रश्नपत्र का विवरण :

200 अंक

सं. क्र.	विषय	अंक
1	सामान्य ज्ञान	100
2	सामान्य हिन्दी	
3	सामान्य अंग्रेजी	
4	सामान्य गणित	
5	सामान्य तार्किक योग्यता	
6	सामान्य विज्ञान	
7	सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान	
8	संबंधित विषय पर आधारित	100
	कुल अंक	200

समूह-1 उप समूह-1 के अन्तर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पद के संबंधित विषय पर आधारित पाठ्यक्रम

Syllabus For S.A.D.O.

1. Agriculture, its importance in national economy, agro-climatic and agro-ecological zone, geographic distribution of crop plants. Agriculture heritage, Sustainable agriculture.
2. Important crop of India and M.P. Package of practices for cultivation of cereal, Pulses, oilseeds, Sugar, Fiber and forage crops; Different cropping systems, Farming system, Crop rotations, multiple and relay cropping, intercropping, mixed cropping and sequence cropping. Integrated crop management, Geoinformatics, Nano technology and precision farming
3. Crop weather relationship, floods, Cold waves and frosts, Meteorological services to agriculture. Climate change and climate resilient agriculture, Remote sensing, contingent crop planning.
4. Soil as a medium for plant growth and its Composition, minerals and organic constituents of the soil and their role in crop production, Soil types of India and M.P. Chemical, Physical and microbiological properties of soils, Essential plant nutrients, their functions and deficiency symptoms, Occurrence and Cycling in soils, Straight, complex and mixed fertilizers and bio-fertilizers manufactures and marketed in India, Integrated nutrient management for plant. Management of problem soils such as saline, alkali and acid soils. Soil and water management Irrigation methods, soil erosion, its causes and control measures, Rain Water conservation; Watershed development, Rainfed farming principles and practices.
5. Bio-chemistry/Physiology/Microbiology/Environmental Sciences:
   Fundamentals of Plant biochemistry and biotechnology, fundamentals of crop physiology, agricultural microbiology, environmental studies and Disaster management ,Introduction to forestry.
6. Elements of genetics and plant breeding as applied to improvement of crops, development of plant hybrids and composites, important hybrid and composites varieties of crops.
7. Important fruits and vegetable crops of M.P. and India, their package of practices Crop rotation, intercropping and companion crop. Role of fruits and vegetables in human nutrition. Post harvest management and value addition of fruits and vegetables.
8. Integrated weed management(IWM), Serious weeds and their control.
   Principles of plant protection measures integrated control of pests and diseases. Pests and diseases affecting major crops. Storage pests management, rodents managements.
9. Principles and objective of surveying. Contouring, Farm development, land capability classification, Farm machinery and equipments. Bullock drawn and power driven Farm implements, Mechanization and its relevance and scope in India. Seed bed preparation land shaping, seeding and intercultural tools or equipments, plant protection equipments, harvesting

and threshing machines, post harvest machinery, Care and maintenance before and after use of farm implements and machinery. Protected cultivation and secondary agriculture.

10. Economics with reference to agriculture Farm planning and management for enhanced production, Factors of Crop production and production relationships, marketing of agricultural produce and regulated markets in M.P. Price of agricultural produce and its role in agricultural development. Impact of economic reforms on agriculture business. Principle and objectives of agricultural extension. Extension organization at the district and block levels, their structure, functions and responsibilities. Methods of Communication role of farm organizations in extension services. Women in agriculture, Women entrepreneur, Women empowerment; Opportunities for agriculture entrepreneurship and Rural enterprise.

- **Tropical and Dry Land Fruit Production**

Commercial varieties of regional, national and international importance, eco-physiological requirements, recent trends in propagation, rootstock influence, planting systems, cropping systems, root zone and canopy management, nutrient management, water management, fertigation, role of bioregulators, abiotic factors limiting fruit production, physiology of flowering, pollination fruit set and development, honeybees in cross pollination, physiological disorders- causes and remedies, quality improvement by management practices; maturity indices, harvesting, grading, packing, storage and ripening techniques; industrial and export potential, Agri. Export Zones(AEZ) and industrial supports for crops viz. mango, banana, citrus, papaya, guava, sapota, jackfruit, aonla, pomegranate, phalsa, ber, pineapple, annonas, avocado, apple , pear, grape, litchi, grape and strawberry.

- **Biodiversity and Conservation of Fruit Crops**

Biodiversity and conservation; issues and goals, centers of origin of cultivated fruits; primary and secondary centers of genetic diversity. Present status of gene centers; exploration and collection of germplasm; conservation of genetic resources – conservation *in situ* and *ex situ*. Germplasm conservation- problem of recalcitrancy - cold storage of scions, tissue culture, cryopreservation, pollen and seed storage; inventory of germplasm, introduction of germplasm, plant quarantine. Intellectual property rights. GIS and documentation of local biodiversity, Geographical indication.

Crops

Mango, sapota, citrus, guava, banana, papaya, grapes, jackfruit, custard, apple, ber, aonla, malus, *Prunus* sp, litchi, nuts, coffee, tea, rubber, cashew, coconut, cocoa, palmyrah, arecanut, oil palm and betelvine

- **Canopy management**

Canopy management - importance and advantages; factors affecting canopy development.

Canopy types and structures with special emphasis on geometry of planting, canopy manipulation for optimum utilization of light. Light interception and distribution in different types of tree canopies.

Canopy development and management in relation to growth, flowering, fruiting and fruit quality in temperate fruits, grapes, passion fruits, mango, sapota, guava, citrus and ber.

- **Propagation and Nursery Management for Fruit Crops**

Introduction, life cycles in plants, cellular basis for propagation, sexual propagation, apomixis, polyembryony, chimeras. Principles factors influencing seed germination of horticultural crops, dormancy, hormonal regulation of germination and seedling growth. Seed quality, treatment, packing, storage, certification, testing. Asexual

propagation – rooting of soft and hard wood cutting under mist by growth regulators. Rooting of cuttings in hotbeds. Physiological, anatomical and biochemical aspects of root induction in cuttings. Layering – principle and methods. Budding and grafting – selection of elite mother plants, methods. Establishment of bud wood bank, stock, scion and inter stock, relationship – Incompatibility. Rejuvenation through top working – Progeny orchard and scion bank. Micro-propagation – principles and concepts, commercial exploitation in horticultural crops. Techniques - in vitro clonal propagation, direct organogenesis, embryogenesis, micrografting, meristem culture. Hardening, packing and transport of micro-propagules. Nursery – types, structures, components, planning and layout. Nursery management practices for healthy propagule production

- **Breeding of Fruit Crops**

Origin and distribution, taxonomical status - species and cultivars, cytogenetics, genetic resources, blossom biology, breeding systems, breeding objectives, ideotypes, approaches for crop improvement - introduction, selection, hybridization, mutation breeding, polyploidy breeding, rootstock breeding, improvement of quality traits, resistance breeding for biotic and abiotic stresses, biotechnological interventions, achievements and future thrust in the following selected fruit crops.

Crops

Mango, banana and pineapple Citrus, grapes, guava and sapota Jackfruit, papaya, custard apple, aonla, avocado and ber litchi, jamun,
phalsa, Apple, pear and strawberry.

- **Growth and Development of Horticultural Crops**

Annual, semi-perennial and perennial horticultural crops, environmental impact on growth and development, effect of light, photosynthesis and photoperiodism vernalisation, effect of temperature, heat units, thermoperiodism. Assimilate partitioning during growth and development, influence of water and mineral nutrition during growth and development, biosynthesis of auxins, gibberellins, cytokinins, abscissic acid, ethylene, brasssinosteroids, growth inhibitors, morphactins, role of plant growth promoters and inhibitors. Developmental physiology and biochemistry during

dormancy, bud break, juvenility, vegetative to reproductive interphase, flowering, pollination, fertilization and fruit set, fruit drop, fruit growth, ripening and seed development. Growth and developmental process during stress - manipulation of growth and development, impact of pruning and training, chemical manipulations in horticultural crops, molecular and genetic approaches in plant growth development.

- **Production Technology of Vegetable Crops**

(24)

Introduction, botany and taxonomy, climatic and soil requirements, commercial varieties/hybrids, sowing/planting times and methods, seed rate and seed treatment, nutritional and irrigation requirements, intercultural operations, weed control, mulching, physiological disorders, harvesting, post-harvest management, plant protection measures and seed production of tomato, brinjal, hot and sweet peppers, okra, peas and broad bean, green leafy cool season vegetables.

potato, cole crops, carrot, radish, turnip and beetroot, Bulb crops: onion and garlic, Peas and broad bean, green leafy cool season vegetables, cucurbitaceous, tapioca, sweet potato and colocasia.

- **Breeding of Vegetable Crops**

Origin, botany, taxonomy, cytogenetics, genetics, breeding objectives, breeding methods (introduction, selection, hybridization, mutation), varieties and varietal characterization, resistance breeding for biotic and abiotic stress, quality improvement, molecular marker, genomics, marker assisted breeding and QTLs, biotechnology and their use in breeding in vegetable crops-Issue of patenting, PPVFR act.

Crops :Potato ,tomato, brinjal, hot pepper, sweet pepper , okra ,Peas and beans, amaranth, chenopods and lettuce ,Gourds, melons, pumpkins and squashes ,Cabbage, cauliflower, carrot, beetroot, radish, sweet potato and tapioca

- **Growth and Development of Vegetable Crops**

Physiology of dormancy and germination of vegetable seeds, tubers and bulbs; Role of auxins, gibberellins, cytokinins and abscissic acid; Application of synthetic hormones, plant growth retardants and inhibitors for various purposes in vegetable crops; Role and mode of action of morphactins, antitranspirants, anti-auxin, ripening retardant and plant stimulants in vegetable crop production. Role of light, temperature and photoperiod on growth, development of underground parts, flowering and sex expression in vegetable crops; apical dominance. Physiology of fruit set, fruit development, fruit growth, flower and fruit drop; parthenocarpy in vegetable crops; phototropism, ethylene inhibitors, senescence and abscission; fruit ripening and physiological changes associated with ripening. Plant growth regulators in relation to vegetable production; morphogenesis and tissue culture techniques in vegetable crops. Definition of seed and its quality, new seed policies; DUS test, scope of vegetable seed industry in India.

- **Seed Production Technology of Vegetable Crops**

Genetical and agronomical principles of seed production; methods of seed production; use of growth regulators and chemicals in vegetable seed production; floral biology, pollination, breeding behavior, seed development and maturation; methods of hybrid seed production. Categories of seed; maintenance of nucleus, foundation and certified seed; seed certification, seed standards; seed act and law enforcement, plant quarantine and

25

...ality control. Physiological maturity, seed harvesting, extraction, curing, drying, grading, seed processing, seed coating and pelleting, packaging (containers/packets), storage and cryopreservation of seeds, synthetic seed technology. Agro-techniques for seed production in solanaceous vegetables, cucurbits, leguminous vegetables, cole crops, bulb crops, leafy vegetables, okra, vegetatively propagated vegetables.

- **Organic Vegetable Production Technology**

Importance, principles, perspective, concept and component of organic production of vegetable crops. Methods for enhancing soil fertility, mulching, raising green manure crops. Indigenous methods of compost, Panchagavya, Biodynamics, preparation etc Pest and disease management in organic farming; ITK's in organic farming. Role of botanicals and bio-control agents. GAP and GMP- Certification of organic products; organic production and export -opportunity and challenges.

- **Production of Plantation, spices,medicinal and aromatic Crops**

Role of crops in national economy, export potential, IPR issues. Systems of cultivation, multitier cropping, photosynthetic efficiencies of crops at different tiers, rainfall, humidity, temperature, light and soil pH on crop growth and productivity, high density planting, nutritional requirements, physiological disorders, role of growth regulators and macro and micro nutrients, water requirements, fertigation, moisture conservation, shade regulation, weed management, training and pruning, crop regulation, maturity indices, harvesting. Cost benefit analysis, organic farming, management of drought, precision farming.

Crops: Coffee, tea, cashew, betel vine, cocoa, rubber, palmyrah palm

- **Production Technology of Spice Crops**

Introduction, importance of spice crops-historical accent, present status - national and international, future prospects, botany and taxonomy, climatic and soil requirements, commercial varieties/hybrids, site selection, layout, sowing/planting times and methods, seed rate and seed treatment, nutritional and irrigation requirements, intercropping, mixed cropping, intercultural operations, weed control, mulching, physiological disorders, harvesting, post harvest management, plant protection measures and seed planting material and micro-propagation, precision farming, organic resource management, organic

certification, quality control, pharmaceutical significance and protected cultivation of: turmeric, ginger garlic, black pepper, Cardamom, clove, coriander, fenugreek, cumin, fennel, ajowain, dill, celery, cinnamom, nutmeg, allspice

- **production Technology for Medicinal and Aromatic Crops**

Production technology for Senna, Periwinkle, Coleus, Aswagandha, Glory lily, Sarpagandha, *Dioscorea* sp., *Aloe vera*, *Phyllanthus amarus*, *Andrographis paniculata*, Medicinal solanum, Isabgol, Poppy, Safed musli, *Stevia rebaudiana*, *Mucuna pruriens*, *Ocimum sp.*

Production technology for palmarosa, lemongrass, citronella, vettiver, geranium, artemisia, mentha, ocimum, eucalyptus, rosemary, thyme, patchouli, lavender, marjoram, oreganum.

Influence of biotic and abiotic factors on the production of secondary metabolites, Regulations for herbal raw materials, Phytochemical extraction techniques.

Institutional support and international promotion of essential oil and perfumery products.

- **Breeding of Plantation Crops and Spices**

Species and cultivars, cytogenetics, survey, collection, conservation and evaluation, blossom biology, breeding objectives, approaches for crop improvement, introduction, selection, hybridization, mutation breeding, polyploid breeding, improvement of quality traits, resistance breeding for biotic and abiotic stresses, molecular aided breeding and biotechnological approaches, marker-assisted selection, bioinformatics, IPR issues, achievements and future thrusts. Coffee, tea, cashew, betel vine, cocoa, rubber, palmyrah palm, Black pepper , cardamom, Ginger ,turmeric, Fenugreek, coriander, fennel, celery, ajwoain , Nutmeg, cinnamon, clove and allspice

- **Breeding of Medicinal and Aromatic Crops**

Plant bio-diversity, conservation of germplasm, IPR issues, Major objectives of breeding of Medicinal and Aromatic Crops, Scope for introduction; cytogenetic background of important Medicinal and Aromatic Crops; Scope for improvement of Medicinal and Aromatic Crops through selection, intra and interspecific hybridization, induced autotetraploidy, mutation breeding and biotechnological approaches.

Breeding for yield and quality improvement in medicinal plants, Breeding for high herbage yield, essential oil and quality components, secondary metabolites in medicinal and aromatic crops; Genetics of active principles and assay techniques useful in evaluation of breeder's material. Breeding problems in seed and vegetatively propagated medicinal and aromatic crops.

Achievements and prospects in breeding of medicinal crops, *viz. Cassia angustifolia*, *Catharanthus roseus*, *Gloriosa superba*, *Coleus forskohlii*, Stevia, *Withania somnifera*, *Papaver somniferum*, *Plantago ovata*, *Dioscorea* sp.

Prospects in breeding of medicinal crops, *viz. Chlorophytum* sp, *Rauvolfia serpentina, Aloe vera, Ocimum* sp, *Phyllanthus amarus, Solanum* sp.

Prospects in breeding of aromatic crops viz., Geranium, vettiver, Lemon grass, Palmarosa, citronella, Rosemary, Patchouli, Eucalyptus, Artemisia and Mint.

- **Processing of Plantation Crops, Spices Medicinal and Aromatic Crops**

Commercial uses of spices and plantation crops. Processing of major spices - cardamom, black pepper, ginger, turmeric, chilli and paprika,vanilla, cinnamon,

clove, nutmeg, allspice, coriander, fenugreek, curry leaf. Extraction of oleoresin and essential oils. Processing of produce from plantation crops, *viz.* coconut, arecanut, cashewnut, oil palm, palmyrah, date palm, cocoa, tea, coffee, rubber etc.
Processing of medicinal plants– dioscorea, gloriosa, stevia, coleus, ashwagandha, tulsi, isabgol, safed musli, senna, aloe, catharanthus, etc. Different methods of drying and storage. Microbial contamination of stored product. Influence of temperature and time combination on active principles.
Extraction and analysis of active principles using TLC / HPLC / GC. Distillation, solvent extraction from aromatic plants– davana, mint, rosemary, rose, citronella, lavender, jasmine, etc. Study of aroma compounds and value addition. Nano-processing technology in medicinal and aromatic plants.

- **Organic Spice and Plantation Crop Production Technology**

Organic production of spice crops and plantation crops, *viz.* pepper, cardamom, turmeric, ginger, cumin, vanilla, coconut, coffea, cocoa, tea, arecanut. GAP and GMP-

Certification of organic products; organic production and export - opportunity and challenges.

- **Breeding of Flower Crops and Ornamental Plants**

Principles -- Evolution of varieties, origin, distribution, genetic resources, genetic divergence- Patents and Plant Variety Protection in India. Genetic inheritance -- of flower colour, doubleness, flower size, fragrance, post harvest life. Breeding methods suitable for sexually and asexually propagated flower crops and ornamental plants-- introduction, selection, domestication, polyploid and mutation breeding for varietal development, Role of heterosis, Production of hybrids, Male sterility, incompatibility problems, seed production of flower crops. Breeding constraints and achievements made in commercial flowers - rose, jasmine, chrysanthemum, marigold, tuberose, crossandra, carnation, dahlia,gerbera, gladioli, orchids, anthurium, aster, heliconia, liliums, nerium.

(28)

Production Technology of Flowers

Scope of cut flowers in global trade, Global Scenario of cut flower production, Varietal wealth and diversity, area under cut flowers and production problems in India- Patent rights, nursery management, media for nursery, special nursery practices. Growing environment, open cultivation, protected cultivation, soil
requirements, artificial growing media, soil decontamination techniques, planting methods, influence of environmental parameters, light, temperature, moisture, humidity and CO2 on growth and flowering. Cut flower standards and grades, harvest indices, harvesting techniques, post-harvest handling, Methods of delaying flower opening, Pre-cooling, pulsing, packing, Storage & transportation, marketing, export potential, institutional support, Agri Export Zones. Flower production – water and nutrient management, fertigation, weed management, rationing, training and pruning, disbudding, special horticultural practices, use of growth regulators, physiological disorders and remedies, IPM and IDM, production for exhibition purposes.
Cut rose, cut chrysanthemum, carnation, gerbera, gladioli, tuberose, orchids, anthurium, aster, liliums, bird of paradise, heliconia, alstroemeria, alpinia, ornamental ginger, bromeliads, dahlia, gypsophilla, limonium, statice, stock, cut foliages and fillers.

Flower forcing and year round flowering through physiological interventions, chemical regulation, environmental manipulation.

Cut flowers

Cut rose, cut chrysanthemum, carnation, gerbera, gladioli, tuberose, orchids, anthurium, aster, liliums, bird of paradise, heliconia, alstroemeria, alpinia, ornamental ginger, bromeliads, dahlia, gypsophilla, limonium, statice, stock, cut foliages and fillers.

Loose flowers

Jasmine, scented rose, chrysanthemum, marigold, tuberose, crossandra, nerium, hibiscus, barleria, celosia, gomphrena, non-traditional flowers (Nyctanthes, Tabernaemontana, ixora, lotus, lilies, tecoma, champaka, pandanus).

- **Land Scaping and Ornamental Gardening**

Landscape designs, types of gardens, English, Mughal, Japanese, Persian, Spanish, Italian, Vanams, Buddha garden; Styles of garden, formal, informal and free style gardens. Urban landscaping, Landscaping for specific situations, institutions, industries, residents, hospitals, roadsides, traffic islands, damsites, IT parks, corporates. Garden plant components Lawns, Establishment and maintenance, special types of gardens, vertical garden, roof garden, bog garden, sunken garden, rock garden, clock garden, colour wheels, temple garden, sacred
groves. Bio-aesthetic planning, eco-tourism, theme parks, indoor gardening, therapeutic gardening, non-plant components, water scaping, xeriscaping, hardscaping.

Protected Floriculture

(29)

Prospects of protected floriculture in India; Types of protected structures – Greenhouses, polyhouses, shade houses, rain shelters etc., Designing and erection of protected structures; Low cost/Medium cost/High cost structures – economics of cultivation; Location specific
designs; Structural components; Suitable flower crops for protected cultivation. Environment control – management and manipulation of temperature, light, humidity, air and CO2; Heating and cooling systems, ventilation, naturally ventilated greenhouses, fan and pad cooled greenhouses, light regulation. Containers and substrates, soil decontamination, layout of drip and fertigation system, water and nutrient management, weed management, physiological disorders, IPM and IDM. Crop regulation by chemical methods and special horticultural practices (pinching, disbudding, deshooting, deblossoming, etc.); Staking and netting, Photoperiod regulation. Harvest indices, harvesting techniques, post-harvest handling techniques, Precooling, sorting, grading, packing, storage, quality standards.

- **Value Addition in Flowers**

Types of value added products, value addition in loose flowers, garlands, veni, floats, floral decorations, value addition in cut flowers, flower arrangement, styles, Ikebana, morebana, free style, bouquets, button-holes, flower baskets, corsages, floral wreaths, garlands, etc.; Selection of containers and accessories for floral products and decorations. Dry flower making – Drying, bleaching, dyeing, embedding, pressing

- **Turfing and Turf Management**

Turf grasses - Types, species, varieties, hybrids; Selection of grasses for different locations; Grouping according to climatic requirement-Adaptation; Turfing for roof gardens. Preparatory operations; Growing media used for turf grasses – Turf establishment methods, seeding, sprigging/dibbling, plugging, sodding/turfing, turf plastering, hydro-seeding, astro-turfing. Turf management – Irrigation, nutrition, special practices, aerating, rolling, soil top dressing, use of turf growth regulators (TGRs) and micronutrients, Turf mowing -- mowing equipments, techniques to minimize wear and compaction, weed control, biotic and abiotic stress management in turfs.

समूह-2 उप समूह-1 के अन्तर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यपालिक) एवं अन्य समकक्ष पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023

विभागीय नियम एवं आरक्षण तालिका

अध्याय – 02

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

(1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाऐं - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;

(ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ड.) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाऐं;

(च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित परीक्षा;

(छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;

(ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;

(ञ) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;

(ट) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;

(ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ड.) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(ण) "उपक्रम" से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;

(त) "मण्डल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल ;

3. लागू होना :- (1) ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।

(2) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

(3) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

4. विभागीय भरती नियमों को मान्यता प्रदान किया जाना - वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगें और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए

जाएंगें और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।

5. **अर्हकारी अंक -** (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होनें समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछ्ड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अकों में 10% की छूट प्रदान की गई है, किंतु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई सूची में से 'मेरिट' के आधार पर किया जावेगा।

(2) इन नियमो के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -

(क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है ;

(ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;

(ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और

(घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6. **विस्तार -**

(1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।

(2) मण्डल, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओ/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।

7. **सेवा समूह - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 एवं 416 दिनांक 10 अक्टूबर 2016 के अनुसार कंडिका 7 सेवा समूह में संशोधन किया गया है।** विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिसके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् -

तालिका

स. क्र.	सेवा समूह	पद का संवर्ग/पदनाम	श्रेणी
1.	समूह-2 उप समूह-1	**समूह-2 उप समूह-1 के अन्तर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यपालिक) एवं अन्य समकक्ष पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023**	तृतीय श्रेणी

8. **परीक्षा का आयोजन -** ऊपर कण्डिका 7 में उल्लिखित सेवा **समूह-2 उप समूह-1** के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/ पद के लिए आयोजित की जाएगी।

संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् –**तालिका**

ऑनलाईन परीक्षा पद्धति के लिये

स.क्र.	समूह	प्रश्न पत्र की कुल संख्या	कुल अंक	प्रश्न पत्र का विवरण	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**समूह-2 उप समूह-1**	01	200	(अ) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान	100
				(ब) संबंधित विषय आधारित प्रश्न	100

09. पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं :-

9.1 अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

समूह-2 उप समूह-1 हेतु

(क) अभ्यर्थियों ने विभागों के संबंधित भर्ती नियमों के अधीन यथा वांछित विषय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की हो। (विभागो द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें)।

9.2 अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।

9.3 **आयु सीमा -** उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए मण्डल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछ्ड़े वर्गो, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। **अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे।** आयु सीमा की गणना भरती के **चालू वर्ष की 1 जनवरी** की स्थिति में की जाएगी :

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी :

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए इस परीक्षा हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (संविदाकर्मी एवं कण्डिका 14 के अन्तर्गत आने वाले को छोडकर) से अधिक नहीं होगी।

9.4(1) मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

(i) **अभ्यर्थी** की आयु की गणना 01 **जनवरी** 2023 से निर्धारित की जावेगी ।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एव **पत्र क्र./सी**.3-11/2012/3 **भोपाल दिनांक** 13 **जनवरी** 2016, में संशोधित आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी 3-8/2016/1/3 **भोपाल दिनांक** 04 **जूलाई** 2019 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

क्र.	भर्ती का तरीका	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदो के लिए	**18 से 40**
	अनु.जा., अनु. जनजा. अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय / निगम/मण्डल/स्वशसी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/ महिलाओ (अनाराक्षित/आरक्षित) आदि के लिए	**18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)**

नोटः- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

9.5 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पूराना नाम आदिम जाति, हरिजन) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(iii) किसी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष (संविदाकर्मी एवं कण्डिका 14 के अन्तर्गत आने वाले को छोड कर) से अधिक नहीं होगी।

9.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

(i) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्तें कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :- शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी

सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(ii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

<u>स्परष्टीकरण</u> :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिषो के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप : (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

(ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

" आयु-सीमा के संबंध में विशेषा उपबंध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वहर इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद

या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिहिंत अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है ।

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कंडिका 10 में उपनियम-03 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया गया है, जो निम्नानुसार है -

(क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न-भिन्न रहती है, विषायवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृटि से, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल संलग्न परिशिष्ट (कंडिका-07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ-साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/अनुभव को विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करता है तो वह कार्य भी मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल कर सकेगा।

10 . अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना -

(1) अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र ऑनलाईन पद्धति भरेंगे । किसी भी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

(2) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिंहित कर सकेगा।

11. मण्डल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना

(1) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ई.डब्लू.एस./ महिलाओं/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।

(3) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।

(4) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगें।

(5) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से नि:शक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

(6) समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

12 . नियुक्ति के लिए मण्डल की अनुशंसाऐं -

(1) **मण्डल** उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 11 के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।

(2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताऐं पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा । नियमानुसार मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजो का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है ।

(3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वत: ही रदद् हो जाएगी।

13. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि -

(1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रय सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के (तब तक विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या) 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी । ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतिक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी ।

(2) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मण्डल की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदाय किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये है । जिसके अन्तर्गत मण्डल के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित किया गया है ।

14 . शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिऐ विभिन्न वर्गो को प्राथमिकता –

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के

निर्देश में विभिन्न वर्गो को शासकीय सेवा मे नियुक्ति के लिए प्राथमिता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक सितंम्बर,1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को	ए-1
02	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
03	भूतपूर्व सैनिको (Demobilised Defence forces Personnel – Exservicemen –other ranks) को	ए-3
04	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
05	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
06	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
07	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
08	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास ''सी'' एवं ''डी'' प्रमाण-पत्र	सी-1
09	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -	सी-2

2. कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गोक की सूची में राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।

3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधरण राजपत्र क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 अंतर्गत म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।

4. कंडिका 3 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गो को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि –

4.1 कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गो के पारस्परिक प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाता है।

4.2 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गो के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।

4.3 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गो के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तंक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

15. प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया -

(1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्यवाही

सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा। नियमानुसार मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजो का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।

(3) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम पांच वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण-पत्र।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्लू.एस. का प्रमाण-पत्र।

(5) प्राथमिकता (कण्डिका-14 के अनुसार) संबंधित प्रमाण-पत्र

(6) आवेदन पत्र में अंकित जानकारी अनुसार अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र

16. आरक्षण -

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टीकल) आरक्षण लागू होगा -

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	-	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

सम्पुर्ण एवं अधिक जानकारी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की Website- http://gad.mp.gov.in को देखे।

(2) **क्षैतिज आरक्षण -**

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) क्र 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :-

किन्ही सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस (33 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट)भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्याजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधीभर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीकी लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है :-

1.	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,	(VH)	1.5 प्रतिशत

2.	बहरे और कम सुनने वाले,	(EH)	1.5 प्रतिशत
3.	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4.	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा नि:शक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमश: तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

(3) संविदा कर्मियों हेतु नियम

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं म.प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/ कर्मचारियो को नियमित पदो पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिश निर्देश जारी किए जाते है, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियो का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-

3.1 प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किन्तु इस नीति के अतंर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुन :लाभ की पात्रता नहीं होगी ।

3.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-

3.3 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो । 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए । इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा । यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ।

3.4 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वॉछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो ।

3.5 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए । अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदो पर संविदापर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था ।

3.6 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुन: उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।

3.7 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाएं।

3.8 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हे पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

3.9 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।

3.10 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.11 नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन होगा।

3.12 विभागों का इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। यहॉ आवश्यक हो वहॉ भर्तीमें प्रतिबंध से आवश्यक छुट भी प्राप्त की जावेगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियो/कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा।

3.13 सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश सी-5-2/2018/1-3(पार्ट फाईल) भोपाल दिनांक 18/10/2022 के अनुसार उपरोक्त बिन्दु 16(3) के परिपालन में संविदा हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत पदों पर होरिजेन्टल आरक्षण लागू होता है अत: पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा ।

(4) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमाक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई.डब्लू.एस.) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

(5) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग या नि:शक्त अभ्यर्थियों में नि:शक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी बोर्ड द्वारा नहीं।

(ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

(घ) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तदसमय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परीणाम जारी किया जावेगा ।

17. आवेदन शुल्क -

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर मे आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

18. यात्रा भत्ता -

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी । ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यार्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी । यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना

होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी ।

(2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषत: आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये है । सभी अभ्यर्थी संलग्न **प्रारूप-2** में अपना बैंक खाता विवरण परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण पत्र इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न कर संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे ।

19. परीक्षा केन्द्र -

परीक्षा केन्द्रो का निर्धारण मण्डल के मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया गया जावेगा । प्राथमिक रूप से परीक्षा शहरों की सूची अध्याय-3 के खण्ड-स में दी गई है ।

20. निरर्हता -

(1) **मण्डल** अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। **मण्डल** ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।

(2) (क) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरूष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

21. अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति -

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलत:

प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो

22. आवेदनों का रद्द किया जाना -

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

23. अभ्यर्थी **द्वारा आरक्षण का दावा -**

(1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्ष्म प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेषा घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

24. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार -

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने -

(क) आनलाईन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या

(घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों; या

(ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या

(च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या

(झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुरव्यव्हार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

25. नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार

(क) भारत का नागरिक हो ।

(ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है ।

(ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है ।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंतत: जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ।

26. मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के पत्र क्र. सी 3-5-2015-3-एक भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अनुसार मण्डल के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त वांछनीय अनुभव व वांछनीय योग्यता या उसके आधार पर वरीयता दिये जाने का उल्लेख विभागों द्वारा नहीं किया जाए । इसके अतिरिक्त पदों का विवरण भेजते समय उक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये ।

27. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्ड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल, के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 25/07/2017 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्ड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति की प्रतिपूर्ति की राशि भुगतान संबधित विभाग द्वारा किया जावेगा ।

28. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे ।

29. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासनविभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितिय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतिय वर्ष 90 प्रतिशत राशि के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जाएगा ।

विभागवार रिक्त पदों का विवरण

स. क्र.	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त है	पोस्ट कोड	भर्ती का प्रकार	पद	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या अना.	EWS	अजा.	अजजा	अपिव	कुल	पद की स्थिति कार्यपालिक/ अकार्यपालिक
1	किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल	4	सीधी भर्ती	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	500	186	298	368	500	1852	कार्यपालिक
2	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर	5	बैकलांग सीधी भर्ती	प्रयोगशाला तकनीशियन	00	00	06	01	06	13	अकार्यपालिक
		6	बैकलांग सीधी भर्ती	प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी	00	00	00	00	04	04	कार्यपालिक
		7	बैकलांग सीधी भर्ती	प्रयोगशाला तकनीशियन	00	00	00	00	01	01	अकार्यपालिक
		8	बैकलांग सीधी भर्ती	प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी	00	00	08	08	07	23	कार्यपालिक
3	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भोपाल	9	सीधी भर्ती	कृषि निर्देशक (सि□□नी)	01	00	00	00	00	01	कार्यपालिक
4	उदयानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल	10	सीधी भर्ती	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	12	05	09	11	15	52	कार्यपालिक अलीपिकिय
				योग	513	191	321	388	533	1946	

1. किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.). .

संचालक, किसान कल्याण, तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक अ-3-अ/ग्रा.कृ.वि.अ./स्था./सीधी भर्ती/12-2033/3623 भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर 2022, पत्र क्रमांक अ-3-अ/ग्रा.कृ.वि.अ./स्था./सीधी भर्ती/12-2022/311 भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2023 एवं पत्र क्रमांक अ-3-अ/ग्रा.कृ.वि.अ./स्था./सीधी भर्ती/12-2022/684 भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2023 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:–

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड-04 सीधी भर्ती - ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी - कुल 1852 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		दिव्यांगों की कुल 112 रिक्तियों में से 28 VH, 28 EH, 28 LD एवं 28 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
1.	अनारक्षित (UR)	240	120	34	16	60	30	500	
2.	ई.डब्लू.एस.	88	44	14	06	22	12	186	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	142	72	20	10	36	18	298	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	178	88	24	12	44	22	368	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	240	120	34	16	60	30	500	
	योग	888	444	126	60	222	112	1852	

वेतनमान - सातवां वेतनमान 25300-80500 के अनुसार

शैक्षणिक योग्यता - कृषि या उद्यानिकी में स्नातक उपधि |

2. <u>जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर</u>

कुल सचिव जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)के पत्र क्रमांक स्था. दो/(1)/129/577 जबलपुर, दिनांक 02/06/2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित

पोस्ट कोड- 05 बैकलांग सीधी भर्ती - प्रयोगशाला तकनीशियन - कुल 13 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 00 LD एवं 01 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	00	00	
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	00	00	00	00	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	02	00	00	00	00	06	
	योग	09	04	00	00	00	00	13	

वेतनमान-25300-80500(लेवल-6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान विषय से बी.एस.सी. द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण/ बी.एस.सी.(कृषि)/बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) ।

पोस्ट कोड- 06 बैकलांग सीधी भर्ती - प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी - कुल 04 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		निरंक
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	00	00	
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	00	00	00	00	04	
	योग	03	01	00	00	00	00	04	

वेतनमान-25300-80500(लेवल-6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एस.सी.(कृषि)/बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) बी.एस.सी. (वानिकी)/बी.एस.सी. (उद्यानिकी) ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद / भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित

पोस्ट कोड- 07 बैकलांग सीधी भर्ती - प्रयोगशाला तकनीशियन - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	00	00	01	
	योग	01	00	00	00	00	00	01	

वेतनमान-25300-80500(लेवल-6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान विषय से बी.एस.सी. द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण/ बी.एस.सी.(कृषि)/बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) ।

पोस्ट कोड- 08 बैकलांग सीधी भर्ती - प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी - कुल 23 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	00	00	दिव्यांगों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	06	02	00	00	00	00	08	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	02	00	00	00	00	08	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	03	00	00	00	00	07	
	योग	16	07	00	00	00	00	23	

वेतनमान-25300-80500(लेवल-6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एस.सी.(कृषि)/बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) बी.एस.सी. (वानिकी)/बी.एस.सी. (उद्यानिकी) ।

3. मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, भोपाल म.प्र. पत्र क्रमांक 4671 भोपाल, दिनाक 21 सितम्बर 2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है .

आरक्षण तालिका

सीधी भर्ती-09 - कृषि निर्देशक (सिवनी) - कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	00	00	01	

वेतनमान – 25300-80500(लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विषय के साथ स्नातक।

4. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.

संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग,छठवा तल विन्ध्याचल भवन भोपाल म.प्र. पत्र क्रमांक उद्यान/अ-2/स्था./सी.भर्ती/रिक्त पद /2022-23/7050 भोपाल, दिनाक 17/10/22 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है .

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड- 10 सीधी भर्ती -ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी- कुल 52 पद (कार्यपालिक-अलीपिकीय)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी हेतु		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		दिव्यांगों की कुल 04 रिक्तियों में से 02 VH 01 EH 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
1.	अनारक्षित (UR)	05	03	02	00	01	01	12	
2.	ई.डब्लू.एस.	03	01	00	00	01	00	05	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	02	01	00	01	00	09	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	03	01	00	01	01	11	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	04	01	00	02	01	15	
	योग	25	13	05	00	06	03	52	

वेतनमान-5200-20200+2400

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/ उद्यानिकी से स्नातक ।

समूह-2 उप समूह-1 के अन्तर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यपालिक) एवं अन्य समकक्ष पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023

पाठ्यक्रम

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधित परिपत्र क्रमांक 74 दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार

प्रश्नपत्र का विवरण :

200 अंक

<table>
<tr><th>सं. क्र.</th><th>विषय</th><th>अंक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सामान्य ज्ञान</td><td rowspan="7">100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सामान्य हिन्दी</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सामान्य अंग्रेजी</td></tr>
<tr><td>4</td><td>सामान्य गणित</td></tr>
<tr><td>5</td><td>सामान्य तार्किक योग्यता</td></tr>
<tr><td>6</td><td>सामान्य विज्ञान</td></tr>
<tr><td>7</td><td>सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान</td></tr>
<tr><td>8</td><td>संबंधित विषय (पदों की अर्हता अनुसार)</td><td>100</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल अंक</td><td>200</td></tr>
</table>

समूह-2 उप समूह-1 संयुक्त भर्ती परीक्षा के के संबंधित विषय पर आधारित पाठ्यक्रम

1. General Agriculture

Agriculture and its importance in national economy.

2. Agronomy

Major Crops of MP, Agrotechniques of major field crops of MP.

Farming systems and sustainable Agriculture.

Introductory Agro Meterology, Agro-climatic and Agro-ecological zones .

3. Soil Science

Soil and its composition and its role in crop production, physical, Chemical, and biological properties of soil. Essential plant nutrients, their function and dynamics. Integrated nutrient management, Problem soils and their management.

4. Soil and water conservation, Watershed management

5. Plant Physiology

Absorption, translocation and metabolism of nutrients, Photosynthesis and respiration, Growth and development, growth regulators.

6. Crop Improvement

Elements of genetics and plant breeding as applied to crop improvement.

7. Horticulture

Package of practices of important fruit vegetable Spices and economically important flowering plants, Nursery management and propagation methods of horticultural crops. Problems (unfruitfulness, alternate bearing, fruit drops etc.) and physiological disorders and their management. Post-harvest
management and value addition of fruits and vegetables.

8. Plant Protection

Important insect pests and diseases affecting important crops and their management. Components of integrated pest and disease management. Spray equipments, their selection and maintenance. Rodent management. Safety precautionary measures during pesticide usage.

9. Agricultural Economics

Meaning, principles of economics as applied to agriculture, Farm planning and resource management for optimal production. Farming systems and their economic role. Marketing of agricultural produce and regulated markets in MP including initiatives like (e -chaupal) Price of agricultural produce and its role in agricultural production.

10. Agricultural Extension Education

Philosophy, objectives and principles of extension. Extension organizations at the state, district and block levels, their structure, functions and responsibilities. Methods of communication. Role of farmer's organizations in extensions services. Role and importance of trainings. Important rural development programmes in India.

अध्याय-3

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

3.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) **आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे ।

(iii) **अभ्यर्थी** अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

3.2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) परीक्षाओं की गोपनीयता,शुचिता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये आवेदन-पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्न-पत्रों के विकल्प को चुनता है, तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गये प्रश्न-पत्रों के लिये संबंधित योग्यता का प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा ।

(iv) किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किये गये प्रमाण-पत्र का बोर्ड स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिये जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थियों परीक्षा में निरस्त की जा सकती है एवं बोर्ड के पास वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकारी सुरक्षित रहेगा ।

(v) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(vi) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(vii) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(viii) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।

3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

3.5 लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी./ प-1/712/2020 भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी ।

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदानकी जावेगी । किन्तु दृष्टिबाधित द्वियांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं पुतिपूरक समय दोनो की सुविधा प्रदान की जावेगी । सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनो (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतुकी सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजोंएवं शपथ पत्र सहित ई.एस.बी. कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि ई.एस.बी. स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके । अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यार्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी ।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/ प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए । उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए ।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्ते :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा ।

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र ई.एस.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। **प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर ई.एस.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) ई.एस.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iii) कोई भी विकल्प सही न हो।

(iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में ई.एस.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. ई.एस.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3.8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :-

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ई.एस.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार ई.एस.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

M_{ij} **is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}**

$\bar{M}_t^g$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions**

M_q^g **is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions**

$\bar{M}_{ti}$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session**

M_{iq} **is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session**

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए ई.एस.बी. की वेबसाईट देखे)

3.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु ई.एस.बी. वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है । लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियॉं ली जा सकेंगी । उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी । अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी । एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा । अत: उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुन: आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं हागी । प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि 50/- (पचास) मात्र शुल्क देय होगा । मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 3.8 अ अनुसार ई.एस.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) **अनुचित साधन (Unfair means)@ यू.एफ.एम. (UFM)** के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।

2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करनाव अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।

3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।

4 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।

9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण **(IMPERSONATION)** के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कत्य

विधिके अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर ई.एस.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

ई.एस.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व ई.एस.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर ई.एस.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट ई.एस.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाऐंगी ।

(v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी ई.एस.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी ।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम ई.एस.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.13 म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार ई.एस.बी. का होगा।

(ii) ई.एस.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं ई.एस.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में ई.एस.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख ई.एस.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

<u>खण्ड-ब</u>

3.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-01** अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

3.16 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-01** अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(iv) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(v) फोटोग्राफ <u>आवेदन भरने की तिथि</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।</u> यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(ix) **मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे ।**

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

3.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर ब हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रूटि सुधार के लिखित आवेदन पर ई.एस.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.18 <u>ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :</u>

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक** /आधार V ID **अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**

1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा ।
2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे ई.एस.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

3.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

ESB लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंको के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

3.22 इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

3.23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेंष राशि का भुगतान करना होगा।

(vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन

आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर ई.एस.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये ई.एस.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

3.25 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा "हॉ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हॉ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुन: शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

3.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.28 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3.29 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे ।

3.30 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात **पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन** का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

3.30 बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया : -

(i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु **निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता** को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरूद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु **संबंधित विभाग** को प्रेषित करेगें। आवेदक द्वारा मण्डल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा ।

(ii) संबधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका मण्डल को उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) मण्डल द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषितत पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी ।

(iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(vi) तदुपरांत मण्डल द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(vii) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे।

3.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत ई.एस.बी. की E-mail ID “complaint.esb@mp.gov.in” पर भेज सकते है।

खण्ड-स

3.32 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
17/04/2023	**01/05/2023**	**15**	**17/04/2023**	**06/05/2023**	20

3.33 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्रं.	परीक्षा का नाम	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	**समूह 1 उपसमूह 1 सयुंक्त भर्ती परीक्षा 2022**	**प्रथम**	**15 जुलाई 2023 ls ikjEHk**	03 **घंटे**	**प्रात**: 09:00 **से** 12:00 **तक**	200
		द्वितीय			**दोपहर** 02:30 **से** 05:30 **तक**	200
2.	**समूह 2 उपसमूह 1 सयुंक्त भर्ती परीक्षा 2022**	**प्रथम**		03 **घंटे**	**प्रात**: 09:00 **से** 12:00 **तक**	200
		द्वितीय			**दोपहर** 02:30 **से** 05:30 **तक**	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

3.34 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	**एक**	500/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	**निरंक**

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	**एक**	20/-	40/-

3.35 परीक्षा शहर :-

आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहर की प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है | बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गए शहरों में सीटो की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा | तथापि परीक्षा शहर एवं परीक्षा केंद्र की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है| बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त सम्बन्ध में पी ई बी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। परीक्षा केंद्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होगा | लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी ।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर
5. उज्जैन	6. सागर	7. सतना	8. रतलाम

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.36

(i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यथी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) ई.एस.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) ई.एस.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है । अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यकरूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधन ई.एस.बी. के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धातर तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी । ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।

(xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

Madhya Pradesh Employees Selection Board

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ चिपकाये

4" x 5" cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e vFkok vxzsth d y/kq gLrk{kj ekU; ugh gksxs A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए

- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

Box-3

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम : ....
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय : ....
3. परीक्षा केन्द्र का नाम : ....
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) : ....
   (जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) : ....
6. परीक्षार्थी का रोल न. : ....
7. बैंक का नाम : ....
8. बैंक शाखा का नाम : ....
9. बैंक का IFS Code : ....
10. बैंक खाता क्रमांक : ....
11. परीक्षार्थी गृह जिला : ....
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी : ....
13. यात्रा का प्रकार : ....
14. यात्रा व्यय की राशि : ....
15. पत्र व्यवहार का पता : ....
16. ई-मेल : ....
17. फोन न. : ....

संलग्न :-

1. बैक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/ द्वियांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक....................................

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

....

....

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

परीक्षा का नाम:- समूह-1 उप समूह-1 के अन्तर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी (कार्यपालिक) पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023, समूह-2 उप समूह-1 के अन्तर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के (कार्यपालिक) एवं अन्य समकक्ष पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023

1. आवेदक का नाम :- ....
2. पिता का नाम :- ....
3. माता का नाम :- ....
4. लिंग (पुरूष/महिला):- ....
5. जन्मतिथि :- ....
6. आदिम जनजाति का नाम :- ....

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करे

7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :- ....
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :- ....
9. कार्यअनुभव का विवरण :- ....
10. विशेष/अन्य विवरण :- ....

11 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नम्बर:- ....

12. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:- ....
13. पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प(नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार) : -

स.क्र.	विभाग का नाम	पदनाम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

* पृथक-पृथक विभागों के पदों के लिए पृथक-पृथक संबंधित विभाग को आवेदन किया जाना होगा।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-..

दिनांक :- ....

निवास का पता :- ....

....

मोबाईल/दूरभाष नं. :- ....